न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 34/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/55)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मेजर सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. देवेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. नवकरण सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरशरण सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.03.2024

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादीगण
2.श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

--निर्णय--

दिनांकः 24.07.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालवाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/71 के मुरब्बा नम्बर 42, 56, 58, 69/25, 69/27 की कुल 12.637 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 127/77 के मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 0.443 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 81/78 के मुरब्बा नम्बर 55, 59 69/24 की कुल 0.778 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 82/79 के मुरब्बा नम्बर 57, 69/35 की कुल 1.484 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य घरू मौखिक बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा में वादीगण को चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.177 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69/25 की 0.127 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69/27 की 0.126 हैक्टेयर कुल 6.249 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/1 की 0.114 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69/24 की 0.063 हैक्टेयर कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.177 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69/25 की 0.127 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्वर 69/27 की 0.126 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/1 की 0.114 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्वर 69/24 की 0.063 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नंबर 5/2, 6/2, 15/2 प्रत्येक 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/2, 25/2 प्रत्येक 0.012 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 4, 5 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69/27 की 0.126 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 7 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 6/1 की 0.038 हैक्टेयर, किला नम्बर 15/2 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/1 की 0.057 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 10, 11, 20 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/1 की 0.245 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69/35 की 0.126 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। वादीगण को प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार है, प्रतिवादीगण को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/71 के मुरब्बा नम्बर 42, 56, 58, 69/25, 69/27 की कुल 12.637 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 127/77 के मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 0.443 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 81/78 के मुरब्बा नम्बर 55, 59 69/24 की कुल 0.778 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 82/79 के मुरब्बा नम्बर 57, 69/35 की कुल 1.484 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण (मेजर सिंह, गुरविन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह) व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3(हरजिन्द्र सिंह, नवकरण सिंह, हरशरण सिंह) के हिस्से माफिक भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/71 के मुरब्बा नम्बर 42, 56, 58, 69/25, 69/27 की कुल 12.637 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 127/77 के मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 0.443 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 81/78 के मुरब्बा नम्बर 55, 59 69/24 की कुल 0.778 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 82/79 के मुरब्बा नम्बर 57, 69/35 की कुल 1.484 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

[illegible]

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	[illegible]
1	मेजर सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (5.979 हैक्टेयर) गुरविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (0.451 हैक्टेयर) देवेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (0.452 हैक्टेयर)	47 एफ	56	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				6 ता 24	4.807 हैक्टेयर	नहरी	42.75
				25	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.57
			55	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				3/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
			69/24		0.063 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			69/25		0.127 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	हरजिन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (5.760 हैक्टेयर) नवकरण सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (1.349 हैक्टेयर) हरशरण सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (1.351 हैक्टेयर)	47 एफ	42	5/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
				6/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
				15/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
				16/2	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.11
				25/2	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.11
			58	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				6 ता 25	5.060 हैक्टेयर	नहरी	45.00
			63	7	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
				8	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			59	6/1	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.34
				15/2	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.45
				16/1	0.057 हैक्टेयर	नहरी	0.51
			57	1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				22/1	0.245 हैक्टेयर	नहरी	2.18
			69/35		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			69/27		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना कर, राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर